संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

प्री0पी0जी0 2010 (एम0डी0/एम0एस0 डिप्लोमा एवं एम0डी0एस0पाठ्यक्रम आवंटन हेतु) स्वशासी/निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविघालयों में द्वितीय काउंसिलिंग पश्चात् शेष रिक्त रही सीटों पर ***आवंटन की सूचना***

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा आयोजित प्री0पी0जी0 2010 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा जारी किये गये परीक्षा परिणाम के आधार पर मेरिट सूची के अनुसार प्रदेश के स्वशासी/निजी चिकित्सा/निजी दंत चिकित्सा महाविघालयों में एम0डी0एस0 एवं एम0डी0/एम0एस0 एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम की द्वितीय काउंसलिंग पश्चात् शेष रिक्त रही सीटों पर **दिनांक 29.06.2010 एवं दिनांक 30.06.2010 को प्रातः 10.00 बजे से गांधी चिकित्सा महाविघालय, भोपाल** में आवंटन प्रक्रिया का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है ।

नोटः– सीटों की वास्तविक संख्या आवंटन स्थल पर उपलब्ध रहेगी । विज्ञापन संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.mp.gov.in./medicaleducation/ **पर भी देखा जा सकता है ।**

आवंटन प्रकिया कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से

दिनांक	कार्यक्रम	पाठ्यक्रम /श्रेणी का नाम	वे उम्मीद्वार जिन्हें उपस्थित होना है
29.06.2010 **30.06.2010**	**स्कूटनी आवंटन**	मेडिकल पी0जी0 डिग्री/डिप्लोमा अनूसूचित जनजाति (विकलांग श्रेणी)	मेरिट के आधार पर सभी इच्छुक पात्र उम्मीदवार ।
		अनूसूचित जनजाति (ओपन)	आप्ट फॉर वेंटिग एवं मेरिट के आधार पर सभी इच्छुक पात्र उम्मीदवार ।
		अनूसूचित जाति, (ओपन)	आप्ट फॉर वेंटिग एवं मेरिट के आधार पर सभी इच्छुक पात्र उम्मीदवार ।
		अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) (ओपन)	आप्ट फॉर वेंटिग एवं मेरिट के आधार पर सभी इच्छुक पात्र उम्मीदवार ।
		अनारक्षित (यू0आर0) (विकलांग श्रेणी)	आप्ट फॉर वेंटिग एवं मेरिट के आधार पर सभी इच्छुक पात्र उम्मीदवार ।
		अनारक्षित (यू0आर0) (ओपन)	आप्ट फॉर वेंटिग एवं मेरिट के आधार पर सभी इच्छुक पात्र उम्मीदवार ।
29.06.2010 **30.06.2010**	**स्कूटनी आवंटन**	एम0डी0एस0 अनूसूचति जनजाति अनूसूचित जाति अन्य पिछडा वर्ग अनारक्षित श्रेणी	दंत चिकित्सा महाविघालयों हेतु व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा घोषित मेरिट सूची के सभी पात्र उम्मीदवार ।

प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग में सीट का आवंटन प्राप्त कर लेने वाले छात्रों को प्री0पी0जी0 नियम 2010 के उपनियम 20.16 के अनुसार इस आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी ।

किसी भी श्रेणी में सीटें समाप्त होने अथवा उम्मीदवार शेष न रहने पर उस श्रेणी की आवंटन प्रक्रिया वहीं समाप्त घोषित कर दी जावेगी ।

उम्मीदवारों की स्क्रूटनी उपलब्ध सीट्स के अनुसार की जायेगी ।

आयोजित की जा रही आवंटन प्रक्रिया के संबंध में उम्मीदवार को पृथक से कॉल लेटर नियमानुसार जारी नहीं किये जा रहे है । व्यापम द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर समस्त श्रेणी के मेरिट उम्मीदवार उपरोक्त दर्शाई गई तिथियों में आवंटन स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

आवेदक को आवंटन स्थल पर चार पासपोर्ट साईज फोटो जो कि विगत तीन माह से पुराने न हो लाना आवश्यक होगा ।

प्री0पी0जी0 प्रवेश परीक्षा में चयनित अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को आवंटन प्रक्रिया में उपस्थित होने पर सुरक्षा निधि के रूप में रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार केवल) तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जिनके माता–पिता/संरक्षक की आय रूपये 3.00 लाख से अधिक है, वे रूपये 2,000/– (रूपये दो हजार केवल) का बैंक ड्राफ्ट जो संचालक चिकित्सा शिक्षा, भोपाल के नाम से देय हो, आवंटन पश्चात् जमा करना अनिवार्य होगा ।

प्री0पी0जी0 परीक्षा नियम, 2010 के नियमानुसार सभी मूल अभिलेख तथा इन अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां दो सेट के बिना आवंटन प्रक्रिया में भाग लेनेकी पात्रता नहीं होगी ।

पात्र उम्मीदवार आवंटन प्रक्रिया में उपस्थित होने के पूर्व प्री0पी0जी0 प्रवेश परीक्षा नियम 2010 का भलीभांति अध्ययन कर लेवें । यह नियम मध्यप्रदेश राजपत्र के अनुसार ही मान्य किये जावेंगें ।

नोट (1) :–

1– यदि उल्लेखित आवंटन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना आवंटन स्थल पर ही चस्पा की जावेगी ।

2– एक उम्मीदवार के साथ केवल एक ही व्यक्ति को आवंटन स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जावेगी ।

3– **आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आवंटन स्थल पर स्थायी जाति प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।**

नोट (2) :– जिन उम्मीदवारों द्वारा आवंटन प्रक्रिया में उपस्थित होने हेतु माननीय न्यायालय में याचिका दायर की गई है तथा जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये गये है, ऐसे उम्मीदवार पारित निर्णय की प्रति लेकर काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होवें । माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर काउंसलिंग समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर काउंसलिंग संबंधी कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश